

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/50/2024-2025

17 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

श्री धर्मबीर धनखड़

गाँव खुबड़, तहसील-गन्नौर,

जिला-सोनीपत, हरियाणा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 22.11.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 27.11.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/- रुपये का पो.आ.सं. 66एफ़ 926011 संलग्न कर, बिन्दुवार जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबंधित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।


(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

ACTION HISTORY OF RTI REQUEST No.VPSEC/R/P/24/00077

Applicant Name Dharambir Dhankhar
Text of Application The RTI reply sent to the applicant.
Reply of Application The RTI reply sent to the applicant.

SN.	Action Taken	Date of Action	Action Taken By	Remarks
1	RTI REQUEST RECEIVED	17/12/2024	Sunita Xess - (SCPIO)	
2	REQUEST DISPOSED OF	17/12/2024	Sarita Chauhan- (CPIO)	

[Print](#)

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110001 (भारत)
NEW DELHI - 110001 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/50/2024-2025

17 दिसम्बर, 2024

सेवा में,

श्री धर्मबीर धनखड़

गाँव खुबड़, तहसील-गन्नौर,

जिला-सोनीपत, हरियाणा

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

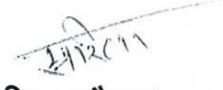
महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 22.11.2024 का पत्र जो इस सचिवालय में 27.11.2024 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ 10/- रुपये का पो.आ.सं. 66एफ़ 926011 संलग्न कर, बिन्दुवार जानकारी हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबंधित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।


(सरिता चौहान)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

RTI-50
66F 926011
(10 R)

सेवा मे,

अपील और रहमदली करता हूँ

श्री जगदीप धनखड
उपराष्ट्रपति जी,
भारत सरकार ।



विषय:

दरखास्त बराए करवाए जाने माफ रकम लोन पी.सी.ए.आर.डी.
एफ बैंक गन्नौर जिला सोनीपत व दिलवाए जाने 6 मशरूम
शेड जलने और 20 एकड धान की पराली का मुआवजा बाबत
प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मैं धर्मबीर धनखड पुत्र श्री रण सिंह धनखड पुत्र
रूपचंद धनखड निवासी गांव खुबडू तहसील गन्नौर जिला सोनीपत का रहने वाला
हूँ और पेशे से किसान हूँ और खेती बाडी का काम करके अपना व अपने परिवार
का गुजर बसर करता हूँ। और कानून मे विश्वास रखने वाला और कानून की
पालन करने वाला व्यक्ति हूँ और वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी मे आता हूँ।

1. यह कि मैने दिनांक 20.01.2014 मे पी.सी.ए.आर.डी.एफ बैंक गन्नौर जिला
सोनीपत से 5 लाख रुपये का लोन मशरूम की खेती करने के लिये लिया
था। जो बाद मे उपरोक्त बैंक द्वारा मुझे केवल 4 लाख 70 हजार रुपये का
लोन पास करके मेरे खाते मे डाल दिये थे। तथा 30 हजार रुपये बैंक वालो
ने अपने पास रख लिये थे। जो इसके बाद मेरे द्वारा उपरोक्त बैंक में दो
बार 50-50 हजार टोटल 1 लाख रुपये दिनांक 26.06.2015 को जमा
करवाए जा चुके है।

2. यह कि इसके बाद दिनांक 23.02.2014 को कुछ अनजान व्यक्ति जिसका
मुझे नाम व पता ना मालूम है उन्होने मेरे मशरूम के 6 शेडों मे आग लगा
दी जिस कारण मेरे पुरे के पुरे 6 शेड जलकर राख हो गए थे और साथ ही
20 एकड धान की पराली भी जला दी गई। पराली जलाने के कारण मेरा
लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये का नुकसान हो गया। जिस बाबत मैने
पुलिस चौकी खुबडू को दिनांक 24.02.2024 शिकायत दी थी लेकिन मेरी

THE HISTORY OF THE

REIGN OF
HIS MAJESTY
GEORGE THE THIRD

BY
JAMES OBERLIN, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

LONDON: Printed by J. OBERLIN, at the

PRINTING OFFICE, in Pall-mall.

1760.

THE SECOND VOLUME.

THE HISTORY OF THE

REIGN OF

HIS MAJESTY

GEORGE THE THIRD

BY

JAMES OBERLIN, ESQ.

शिकायत पर पुलिस चौकी खुबडू द्वारा आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण मैं आज भी परेशान होकर दरखास्त आपके समक्ष लगा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सी० एम० वि० पर भी मैंने दिनांक 27.06.2024 को कानूनी कार्यवाही हेतु लगाई थी जिस पर भी आज तक मेरी दरखास्त पर कार्यवाही नहीं सकी जिसके कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। अब आपके समक्ष कार्यवाही हेतु दरखास्त लगा रहा हूँ ताकि मेरे को न्याय मिल सके।

3. यह है कि उपरोक्त बैंक द्वारा जो मैंने लोन लिया था उसमें मेरे बैंक द्वारा 33 हजार रुपये काटे गए तब मैंने पूछा तो बैंक वालों ने इश्येयरेस के पैसे काटे हैं जब मेरी भूमि में आग लगी तो मैं पूछने गया तो मेरे को बैंक वालों ने बताया कि आपके हिस्से के पैसे काटे हैं मेरे को लोन देते समय कुछ बोला और अब और कुछ बताया रहे जिसके कारण मुझे परेशान किया जा रहा है।
4. यह कि उपरोक्त मशरूम के 6 शेड जलने व 20 एकड़ धान की पराली जलने के कारण मेरा लगभग 11 लाख 50 हजार रुपये का नुकसान हो गया और मैं कहीं पर भी शिकायत देता हूँ तो मेरी शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती अब आप ही मेरी शिकायत पर कार्यवाही करके मुझे न्याय दिला सकते हो मेरे को न्याय दिलाने की कृपा करें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
5. यह है कि एक शिकायत दिनांक 30.11.2023 को उपायुक्त महोदय को दी थी जिसका डायरी नंबर 1665/FRA है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब मेरे परिवार के भुखे मरने की नौबत आ चुकी है। और मैं शारीरिक रूप से बीमार रहता हूँ।
6. यह है कि मैंने दिनांक 21.10.2024 को पहले भी आपके समक्ष भी दरखास्त कार्यवाही हेतु लगाई थी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और डी सी साहब

सोनीपत, एस डी एम साहब गन्नौर, सोनीपत व बैंक मैनेजर को दरखास्त लगा चुका हूँ जिस पर अभी तक मेरी समस्या पर कोई समाधान नहीं हुआ है।

7. यह है कि जो मैंने पहले भी दरखास्त दी हुई है उनको आप अपने सदंर्भ में लेकर उस पर कानूनी कार्यवाही की जावे ताकि मेरी समस्या का समाधान हो सके।
8. यह है कि मैंने कई बार कानूनी कार्यवाही हेतु और न्याय की मांग को लेकर दरखास्त लगा चुका हूँ लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई अब आपके समक्ष कार्यवाही हेतु दरखास्त लगा रहा हूँ ताकि मुझे न्याय मिले और अपने परिवार का गुजर बसर कर सकूँ।

अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा लोन माफ किया जाए और जो मेरी भूमि में आग लगने के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मुझे मुआवजा दिलाया जाए मैं एक गरीब किसान हूँ मेरे पास इनकम का और कोई साधन नहीं है मेरे को न्याय दिलाया जाए जिससे मेरी हकरसी हो सके आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

धन्यवाद।

दिनांक: 22/11/2024



प्रार्थी

धर्मबीर धनखड पुत्र श्री रण सिंह धनखड
पुत्र रूपचंद धनखड निवासी गांव खुबडू
तहसील गन्नौर जिला सोनीपत
मो0 9050189240

